(3)

संख्या–167/xxiv–4/2011–9(2)/2010

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 29 मार्च, 2011

विषय–स्व0 घनश्याम इ0का0 असनखेत का वित्त पोषण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5ख2/91871/असनखेत/2010–11, दिनांक 14 मार्च, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय स्व0 घनश्याम इ0का0 असनखेत, पौड़ी गढ़वाल को प्रयोगशाला, कक्ष, सभागार, क्रीड़ास्थल व पुराने भवनों का अनुरक्षण निर्माण कार्य हेतु ₹ 49.49 लाख (रूपये उनचास लाख उनचास हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(2) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(4) एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(5) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकानुसार) से कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

(7) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपर्युक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।

(8) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(9) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

....2

HS

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–02 माध्यमिक शिक्षा–110 गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–03–गैर सरकार माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान–0301–आवर्तक अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3. ये आदेश वित्त अंशा0प0सं0 636(P)XXVII(3)/2010, दिनांक 29 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्या– 167 (1)/xxiv–4/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवांही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
8. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
9. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव

H.S.